

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर
ए ब्लॉक वित्त भवन, जनपथ, जयपुर

क्रमांक :- एफ.2(ग)(1)/अलेसे-1/ 524

दिनांक :- 01/05/2021

कार्यालय आदेश

वित्त विभाग, राजस्थान सरकार से प्राप्त निर्देशों के क्रम में वर्तमान कोविड-19 की विषम परिस्थितियों के मध्यनजर निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1, ग्रेड-11 व कनिष्ठ लेखाकार को सेकिण्डमेन्ट के आधार पर प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन, जयपुर में तत्काल प्रभाव से एतद् द्वारा नियुक्त किया जाता है :-

क्र. सं.	लिंक नम्बर	नाम सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम सर्वग्री	वर्तमान पदस्थापन	सेकिण्डमेन्ट पर कार्य करने वाले विभाग का नाम
1	2	3	4	5
1.	2512	नरेश कुमार जैमन, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1।	अधिशाषी अभियन्ता, भू जल विभाग, जयपुर	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन, जयपुर
2.	2108	रविन्द्र बेरवा, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1।	पुलिस अधीक्षक, सीआईडी (विशेष शाखा) जयपुर	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन, जयपुर
3.	5100	सुमत प्रसाद जैन, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11।	आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, जयपुर	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन, जयपुर
4.	10290	राजकमल शर्मा, कनिष्ठ लेखाकार	कोषालय (शहर) जयपुर	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन, जयपुर
5.	11772	अमित मिश्रा, कनिष्ठ लेखाकार	सी.ए.डी. एण्ड जल उपयोगिता विभाग, सचिवालय, जयपुर	प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन, जयपुर

उपरोक्त अधीनस्थ लेखा सेवा के कार्मिकों को निर्देशित किया जाता है कि वे अविलम्ब अपने वर्तमान कार्यालय से कार्यमुक्त होकर कॉलम संख्या 5 में अंकित विभाग में अपनी उपस्थिति देना सुनिश्चित करें। इसमें किसी भी प्रकार के विलम्ब को अत्यन्त गम्भीरता से लिया जावेगा।

उक्त आदेश निदेशक महोदय से अनुमोदित है।


(महेश सिंह मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)

क्रमांक :- एफ.2(ग)(1)/अलेसे-1/ 524

दिनांक :- 01/05/2021

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान, राज. जयपुर।
- संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राज. जयपुर।
- प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सप्लाई कारपोरेशन, जयपुर
- सम्बन्धित विभाग/कार्यालयाध्यक्ष को भेजकर लेख है कि सम्बन्धित कार्मिकों को वर्तमान में विषम कोविड-19 परिस्थितियों के मध्यनजर तत्काल कार्यमुक्त कराने की व्यवस्था करने का श्रम करावें। यह अतिमहत्वपूर्ण कार्य, अधीनस्थ लेखा सेवा के कार्मिकों की कमी के कारण यदि इसमें किसी प्रकार कोई समस्या उत्पन्न होती है तो उसकी जिम्मेदारी इस निदेशालय की नहीं होगी।
- सम्बन्धित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-1/ग्रेड-11/कनिष्ठ लेखाकार को पालनार्थ।
- निजी सचिव, निदेशक महोदय।
- रक्षित/निजी पत्रावली।


अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-1)